

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कुंभलगढ़ (31221), जिला राजसमन्द


- प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्री दीप चन्द्र खटीक पुत्र श्री परथा लाल खटीक निवासी ग्राम बडगांव, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)-313334
 2. श्री लक्ष्मी लाल लोहार पुत्र श्री बगतावर लाल लोहार निवासी 104, ग्राम काकरवा, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.) - 313334
- ऋणी/अप्रार्थी/जमानतदार

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 10/2023

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
दिनांक 26.06.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कुंभलगढ़, जिला राजसमन्द ने दिनांक 17.04.2023 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने श्री दीप चन्द्र खटीक पुत्र श्री परथा लाल खटीक एवं जमानतदार श्री लक्ष्मी लाल लोहार पुत्र श्री बगतावर लाल लोहार को रूपये 8,00,000/- अक्षरे आठ लाख रूपये एवं 15,00,000/- अक्षरे पंद्रह लाख रूपये का ऋण स्वीकृति किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियो/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित अचल आवासीय सम्पत्ति जो ग्राम बडगांव तहसील कुंभलगढ़ जिला राजसमन्द(राज.) में स्थित है जो श्री दीप चन्द्र खटीक पुत्र श्री परथा लाल खटीक के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2033.64 वर्गफीट है। जिसके पडौस निम्नानुसार है:- पूर्व : आम रास्ता, पश्चिम : दोला सिंह की भूमि, उत्तर : मोती लाल की भूमि, दक्षिण : आम रास्ता। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 26.05.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 12.10.2022 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि दिनांक 12.10.2022 को रूपये 22,53,615/- ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय</p>	

आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 12.10.2022 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं पोस्ट आफिस की डीलेवरी रिपोर्ट की प्रति पेश की गयी। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा श्री दीप चन्द्र खटीक पुत्र श्री परथा लाल खटीक निवासी ग्राम बडगांव, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द(राज.) एवं जमानतदार श्री लक्ष्मी लाल लोहार पुत्र श्री बगतावर लाल लोहार निवासी 104, ग्राम काकरवा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द(राज.) को रूपये 8,00,000/- अक्षरे आठ लाख रूपये एवं 15,00,000/- अक्षरे पंद्रह लाख रूपये का ऋण स्वीकृति किया था उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि रूपये 22,53,615/- वसूल करना है। ऋणी/जमानतदार ने अचल सम्पत्ति :- अचल आवासीय सम्पत्ति जो ग्राम बडगांव तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द(राज.) में स्थित है जो श्री दीप चन्द्र खटीक पुत्र श्री परथा लाल खटीक के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2033.64 वर्गफीट है। जिसके पड़ोस निम्नानुसार है :- पूर्व में : आम रास्ता, पश्चिम में : दोला सिंह की भूमि, उत्तर में : मोती लाल की भूमि, दक्षिण में : आम रास्ता।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।



(निलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द